



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032025-261795
CG-DL-E-21032025-261795

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]
No. 181]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2025/ फाल्गुन 28, 1946
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2025/PHALGUNA 28, 1946

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025

संदर्भ: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (1184)— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 15500 (भाग 1 से 8) : 2021 गहराई से पानी निकालने वाले हथवरमें, प्रयुक्त होने वाले घटक और विशेष औजार — विशिष्टि	संशोधन संख्या 2 फरवरी 2025	22 फरवरी 2025	21 अगस्त 2025

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(पहला पुनरीक्षण)			
2	आई एस 15558 : 2024 एलपीजी के साथ प्रयोग के लिए तात्कालिक घरेलू वाटर हीटर — विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 फरवरी 2025	22 फरवरी 2025	21 अगस्त 2025
3	आई एस/आई एस ओ 16039 : 2004 सड़क निर्माण और रख-रखाव उपस्कर — स्लिपफार्म पेवर — परिभाषा तथा वाणिज्यिक विशिष्टि	संशोधन संख्या 1 फरवरी 2025	22 फरवरी 2025	21 अगस्त 2025
4	आई एस 17435 : 2020 प्राक्षेपिकी कवच — विशिष्टि	संशोधन संख्या 1 फरवरी 2025	22 फरवरी 2025	21 अगस्त 2025
5	आई एस 17773 : 2022 संवृत-परिपथ अमोनिया प्रशीतन प्रणाली — डिजाइन और संस्थापन की रीति संहिता (एएनएसआई/आईआईएआर 2 : 2014, एनईक्यू)	संशोधन संख्या 1 फरवरी 2025	22 फरवरी 2025	21 अगस्त 2025

चित्रा गुप्ता, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग एवं ट्रेनिंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./1041/2024-25]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2025

Ref: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (1184).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

Sl No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
--------	--	-------------------------------------	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 15500 (Part 1 to 8) : 2021 Deepwell Handpumps, Components and Special Tools — Specification (First Revision)	Amendment No. 2 February 2025	22 February 2025	21 August 2025
2	IS 15558 : 2024 Instantaneous Domestic Water Heater for Use with LPG — Specification (First Revision)	Amendment No. 1 February 2025	22 February 2025	21 August 2025
3	IS/ISO 16039 : 2004 Road Construction and Maintenance Equipment — Slipform Pavers — Definitions and Commercial Specifications	Amendment No. 1 February 2025	22 February 2025	21 August 2025
4	IS 17435 : 2020 Ballistic Shields — Specification	Amendment No. 1 February 2025	22 February 2025	21 August 2025
5	IS 17773 : 2022 Closed-Circuit Ammonia Refrigeration System — Code of Practice for Design and Installation (ANSI/IIAR 2 : 2014, NEQ)	Amendment No. 1 February 2025	22 February 2025	21 August 2025

CHITRA GUPTA, Scientist G & DDG (Hallmarking and Training)

[ADVT.-III/4/Exty./1041/2024-25]